गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
GOA SHIPYARD LIMITED
आयएसओ 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 कंपनी प्रमाणित
AN ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 CERTIFIED COMPANY
(भारत सरकार का उपक्रम)
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
रक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF DEFENCE
वास्को-द-गामा, गोवा
VASCO-DA-GAMA, GOA, 403 802, INDIA.

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

दूरभाष/ Tel. : (0832) 2512152 - 56, 2512359
फॅक्स/Fax. : (0091-832)2514232, 251148, 2513260
ई-मेल / E-mail. : contactus@goashipyard.com
वेब / Website : www.goashipyard.com
GSL CORPORATE IDENTITY NUMBER (CIN)
U63032GA1967G01000077
GSTIN : 30AAACG7569F1ZR
पंजिकृत कार्यालय और 'यार्ड : वास्को-द-गामा, गोवा - ४०३८०२.
Registered Office & Yard : Vasco-da-Gama, Goa, 403 802, India.
सभी उत्तर अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक को संबोधित करना है।
All replies to be addressed to the Chairman & Managing Director

55वीं वार्षिक साधारण बैठक का नोटिस

एतद् द्वारा **सूचना** दी जा रही है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों की 55वीं वार्षिक साधारण वैठक, बुधवार दिनांक 29 सितंबर, 2021 को 1600 बजे भारतीय मानक समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के जरिए निम्नलिखित कार्यों को संचालित करने के लिए आयोजित की जाएगी :

सामान्य कार्य

1. दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल एवं उस पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के साथ एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर विचार करना और उसे अंगीकृत करना।

2. 5.00 रुपए प्रति इक्विटी शेयर पर 3.75 रुपए (75%) की दर से भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश की पुष्टि करना और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 5.00 रुपए प्रति इक्विटी शेयर पर 1.00 रुपए (20%) की दर से अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

3. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने और इस संबंध में विचार करने और यदि उचित लगे तो संशोधन(नों) के साथ या विना संशोधन के, निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना : -

   "**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 142 एवं कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 174 के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक 3,00,000/- रुपए के साथ जीएसटी एवं फुटकर खर्च की वास्तविक राशि पर लागू कर को जोड़ कर, नियत किया जाए।"

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama गोवा Goa. 403802
GOA SHIPYARD LIMITED

विशेष कार्य

4. श्रीमती नाज़ली ज़ाफरी शायीन को मनोनीत सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार करना और यदि उचित लगे तो संशोधन(नों) के साथ या बिना संशोधन के, निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना: -

"**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो तो, और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में, श्रीमती नाज़ली ज़ाफरी शायीन, (डीआयएन - 07528552) संयुक्त सचिव, रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार दिनांक 31 मई, 2021 से कंपनी के मनोनीत सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति और एतद् द्वारा इसे अनुमोदित करना।

5. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लागत लेखा परीक्षक के लिए देय पारिश्रमिक की पुष्टि करने हेतु और इस संबंध में विचार करने के लिए और यदि उचित लगे तो संशोधन(नों) के साथ या बिना संशोधन के, निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना: -

"**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और अन्य सभी लागू प्रावधानों जिसे कंपनी (लेखा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (तत्समय के लिए लागू कोई भी सांविधिक संशोधन(नों) या उसके पुन: अधिनियम(मों) सहित) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड की लेखा परीक्षण करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखा परीक्षक मेसर्स एस.आर. भार्गव एंड कंपनी, लागत लेखाकार, पुणे, महाराष्ट्र को 1,50,000/- रुपए जोड लागू जीएसटी तथा फुटकर खर्च की वास्तविक राशि (अधिकतम 50,000/- रुपए) जोड लागू कर, पारिश्रमिक के रूप में देय है तथा एतद् द्वारा संपुष्टि की जाती है।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते **गोवा शिपयार्ड लिमिटेड**

(छाया जैन)
कंपनी सचिव

स्थान : वास्को द गामा, गोवा
दिनांक : 06 अगस्त, 2021

टिप्पणियाँ :

1. कोविड-19 महामारी के कारण लोगों की आवाजारी पर लगे निरंतर प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने दिनांक 13 जनवरी 2021 का साधारण परिपत्र सं. 02/2021 जिसे 8 अप्रैल 2020 का साधारण परिपत्र सं.14/2020, 13 अप्रैल 2020 का साधारण परिपत्र सं.17/2020 और 05 मई 2020 का साधारण परिपत्र सं. 20/2020 के साथ पढ़ा जाए (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) द्वारा कंपनी को कलेंडर वर्ष 2021 के दौरान वार्षिक साधारण बैठक (वासाबै) का संचालन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एक सुलभ स्थान पर सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना करने की अनुमति दी है। अत: एमसीए परिपत्र और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक (वासाबै) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। वार्षिक साधारण बैठक (वासाबै) के लिए निर्धारित किया गया स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय,वाडेम, वास्को-द-गामा, गोवा-403 802 होगा।

2. विशेष कारोबार से संबंधित अधिनियम की धारा 102 (1) के अनुसार, बैठक में संचालित किए जाने वाले विवरण इसके साथ संलग्न है। संलग्न नोटिस के मद सं 4 एवं 5 में दर्शाए गए विशेष व्यवसाय को बोर्ड द्वारा अपरिहार्य माने जाते है और इसलिए इस नोटिस का हिस्सा बनते है।

3. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सदस्य जिन्हें बैठक में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार है वे सदस्य स्वयं उपस्थित होने के बजाय प्रॉक्सी को उपस्थित होने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने का अधिकार है और उसमें प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। चूंकि वासाबै एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों को वास्तविक उपस्थिति की अनुमति नहीं है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस वार्षिक साधारण बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और वार्षिक साधारण बैठक का रूट मैप नोटिस के साथ संलग्न नहीं है।

इलेक्ट्रॉनिक मॉड के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण

4. एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक साधारण बैठक की सूचना वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मॉड के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ईमेल कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) ('डीपी') के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य कृपया नोट करें कि वार्षिक साधारण बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.goashipyard.in पर भी उपलब्ध होगी।

5. वित्त वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां इलेक्ट्रॉनिक मॉड से प्राप्त करने के लिए:

(क) वास्तविक मोड में शेयरधारित सदस्य और जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अद्यतन नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के ashoksahoo@goashipyard.com ई-मेल अथवा पूर्वा शेयरजिस्ट्री (भारत) प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के support@purvashare.com ई-मेल पर नाम, फोलियो नंबर, शेयर प्रमाण पत्र संख्या, मोबाइल संख्या और पते का उल्लेख कर और पैन कार्ड की एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ लिखित रूप से पंजीकृत करें।

(ख) डिमैटरीकृत मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करें।

वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama गोवा . Goa. 403802 GOA SHIPYARD LIMITED

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वासाबै में शामिल होने की प्रक्रिया

6. सदस्यों को सिस्को वेबेक्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीसी / ओएवीएम के जरिए वासाबै में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य निम्नलिखित लिंक एवं विवरण के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक (वासाबै) में भाग ले सकेंगे :

यू आर एल: https://goashipyard.webex.com/goashipyard/j.php?MTID=m2fd5a178cc92a2ab487324343d2870a7
बैठक संख्या : 2513 467 8937
पासवर्ड : p2xAiN3uHK6

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए उपरोक्त विवरण और लिंक कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। लैपटॉप/डेस्कटॉप के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक (वासाबै) में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने पर वेबेक्स ब्राउज़र को निर्देशित किया जाएगा। मोबाइल डिवाइस या टेबलेट से शामिल होने वाले प्रतिभागी कृपया अपने डिवाइस पर उपर्युक्त लिंक एक्सेस करने से पूर्व ही 'सिस्को वेबेक्स मीटिंग्स' ऐप डाउनलोड करें। बैठक में शामिल होने के दौरान प्रतिभागी अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल (अर्थात् नाम और ई-मेल आईडी) दर्ज करेंगे।

7. बेहतर अनुभव के लिए, बैठक में लैपटॉप के माध्यम से भाग लेना और स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का प्रयोग उपयुक्त है।

8. बैठक में शामिल होने की सुविधा वार्षिक साधारण वैठक (वासावै) के निर्धारित समय से 30 (तीस) मिनट पहले आरंभ की जाएगी और इसे वासावै की कार्यवाही के दौरान खुला रखा जाएगा। सदस्यों की सुविधा और वार्षिक साधारण बैठक (वासाबै) के उचित संचालन के लिए, सदस्य वार्षिक साधारण वैठक (वासाबै) के लिए निर्धारित समय से 15 (पंद्रह) मिनट पहले शामिल हो सकते हैं।

9. सदस्य जिन्हें वार्षिक साधारण बैठक (वासाबै) से पहले या उस दौरान तकनीकी प्रक्रिया का उपयोग करने में सहायता की आवश्यकता है तो, वे कृपया श्री अशोक कुमार साहू, सहायक कंपनी सचिव, गोशिलि को निर्दिष्ट ईमेल आईडी: ashoksahoo@goashipyard.com या 0832 25138701/2514232 पर संपर्क करें।

10. अधिनियम की धारा 113 के अनुसरण में, संस्थागत/कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध (उर्थात व्यक्तिगों/ एचयूएफ/एनआरआई आदि के अलावा) किया जाता है कि वे अपने बोर्ड/शासकीय निकाय द्वारा पारित संकल्प की स्कैन की गई प्रति, जिसमें उनके प्रतिनिधि(यों) को वार्षिक साधारण बैठक में वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत किया गया है, उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ ashoksahoo@goashipyard.com ईमेल पर भजे।

11. अधिनियम की धारा 103 के तहत वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक (वासाबै) में भाग लेने वाले सदस्यों की कोरम की गणना के उद्देश्य से गिनती की जाएगी।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ★ GOA SHIPYARD LIMITED ★ वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama, Goa. 403802

बैठक के दौरान सवाल पूछने / स्पष्टीकरण मांगने / मतदान की प्रक्रिया

12. जैसा कि वार्षिक साधारण बैठक (वासाबै) वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, वासाबै की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए, सदस्यों को अपने नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, ईमेल आयडी, मोबाइल संख्या का उल्लेख करते हुए ashoksahoo@goashipyard.com ई-मेल आयडी पर अग्रिम रूप से अपने विचार / प्रश्न भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वासाबै के दौरान समुचित उत्तर देने के लिए कृपया 27 सितंबर, 2021 को या उससे पहले प्रश्न / सवाल, यदि कोई हो तो, को प्रस्तुत किया जा सकता है।

13. बैठक के अध्यक्ष बैठक के दौरान प्रश्नों या विचारों को प्रकट करने का अवसर दे सकते हैं। जो सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे "चैट आइकन" फीचर या "हाथ उठाएं" फीचर का उपयोग करके प्रस्तुत कर सकते हैं।

14. कंपनी को वार्षिक साधारण बैठक (वासाबै) के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रश्नों की संख्या और बोलने वालों की संख्या को सीमित रखने का अधिकार है।

15. वे सदस्य, जिनके नाम सदस्य के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में 27 सितंबर, 2021 (कट-ऑफ की तारीख) तक दर्ज किए गए हैं, इस नोटिस में दिए गए कार्यो/संकल्पों पर मतदान देने के हकदार हैं। एमसीए परिपत्रों और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में, जहाँ बैठक में 50 से कम सदस्य उपस्थित होते हैं, अध्यक्ष हाथ उठाकर मतदान का संचालन करने का निर्णय ले सकते हैं, जब तक कि अधिनियम की धारा 109 के अनुसार किसी भी सदस्य द्वारा मतदान की मांग नहीं की जाती है।

16. जब किसी भी विषय पर मत की मांग की जाती है, तो सदस्य कंपनी के साथ पंजीकृत अपने ई-मेल पते (पतों) के माध्यम से chhayajain@goashipyard.com पर केवल ईमेल भेजकर संकल्प के लिए मतदान डालेंगे। मतदान की स्थिति में, सदस्यों/लाभार्थियों (इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारण के मामले में) के मतदान अधिकार कट-ऑफ की तारीख के अनुसार कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। यदि मतदानों की गिनती के लिए समय की आवश्यकता होती है, तो बैठक स्थगित की जा सकती है और परिणाम घोषित करने के लिए बाद में बुलाया जा सकता है।

17. संयुक्त शेयरधारण के मामले में, संयुक्त शेयरधारक जिसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे पहले है, सिर्फ वही मतदान करने का हकदार होगा।

दस्तावेजों के निरीक्षण की प्रक्रिया

18. अधिनियम की धारा 170 के तहत बनाए गए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके शेयरधारण के रजिस्टर और अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए अनुबंध या व्यवस्था का रजिस्टर जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से वार्षिक साधारण बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा। नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज भी बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए सदस्यों द्वारा सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर सप्ताह के दिनों (सोमवार से शुक्रवार) में सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे के बीच वार्षिक साधारण बैठक की तारीख तक उपलब्ध रहेंगे। इस तरह के दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए सदस्य ashoksahoo@goashipyard.com पर ई-मेल भेज सकते हैं।

GOA SHIPYARD LIMITED
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama
गोवा, Goa.
403802

लाभांश संबंधी जानकारी

19. यदि निदेशक मंडल के सिफारिश के अनुसार अंतिम लाभांश वार्षिक साधारण बैठक में अनुमोदित किया जाता है तो घोषणा के दिनांक से 30 दिनों के अंतर लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम (क) डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी स्वामियों की सूची में लाभार्थी स्वामी के रूप में और (ख) कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में वार्षिक साधारण बैठक (वासाबै) की तारीख तक कामकाज के घंटों के बंद होने तक दर्ज है।

20. लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मॉड के माध्यम से उन सदस्यों को किया जाएगा जिन्होंने अपना बैंक खाता विवरण कंपनी/डीपी के साथ पंजीकृत किया है। लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट / चेक उन सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे जिनके बैंक खाते का विवरण कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं है। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि कृपया अपना पूरा बैंक विवरण पंजीकृत करें / अद्यतन करें। जिन सदस्यों की हिस्सेदारी इलेक्ट्रॉनिक मॉड में है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट के साथ अपने बैंक खाते के विवरण को अद्यतन करें। जिन सदस्यों की शेयरधारिता वास्तविक मॉड में है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी द्वारा प्रदान की गई मैन्डेट सुविधा का लाभ उठाएं। ईसीएस मैन्डेट फॉर्म कंपनी / आरटीए से प्राप्त किया जा सकता है।

21. दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से आयकर अधिनियम, 1961, ('आयटी अधिनियम') को वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया है, के अनुसार यह अनिवार्य है कि कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित किए गए लाभांश शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगें। इसलिए कंपनी को अपने शेयरधारकों (निवासी एवं अनिवासी) को लाभांश का भुगतान करने के समय स्रोत कर कटाना (टीडीएस) आवश्यक है। टीडीएस की दर शेयरधारकों की निवासी स्थिति और कंपनी / आरटीए / डीपी के पास जमा दस्तावेज के आधार पर भिन्न होगी। कंपनी को उपयुक्त टीडीएस दर को लागू करने में समर्थ बनाने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे आयटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करें।

<u>निवासी शेयरधारकों के लिए:</u>

देय लाभांश की राशि पर टीडीएस @ 10% काटा जाएगा, जहां निवासी शेयरधारकों द्वारा एक वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) उनके संबंधित डीपी (यदि शेयर डीमैट फॉर्म के रूप में रखे गए हैं) या कंपनी/आरटीए (यदि शेयर वास्तविक रूप में धारित है) को प्रस्तुत किया गया हैं।

टीडीएस 20% की दर से यानी देय लाभांश की राशि पर लागू दर से दोगुना काटा जाएगा जव निवासी शेयरधारकों ने:

(i) वैध पैन प्रस्तुत नहीं किया है, या

(ii) पिछले दो वित्त वर्ष के लिए आय विभाग में अपनी आय का विवरणी दाखिल नहीं किया है और उन वित्त वर्षो में से प्रत्येक में कुल 50,000/- रुपए या उससे अधिक के स्त्रोत पर कर कटौती/संग्रह के अधीन थे।

जिन सदस्यों ने अपना पैन पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे वैध पैन कार्ड की एक स्वप्रमाणित प्रति वासाबै के पहले या उसी दिन जमा करें। कॉर्पोरेट सदस्यों के मामले में, सत्यापन उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (हस्ताक्षरकर्ताओं) द्वारा किया जाना है।

निवासी व्यक्ति को देय लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा, यदि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कुल लाभांश 5,000/- रुपये से अधिक नहीं है। इसके अलावा, यदि निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक, जो आयकर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, वे फॉर्म 15जी (कंपनी या किसी फर्म के अलावा किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है) / फॉर्म 15एच (60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए लागू) स्वयं सत्यापित पैन कार्ड की एक प्रति के साथ प्रस्तुत करें ताकि वे कंपनी से स्रोत पर कर की गैर कटौती का लाभ उठा सकें। निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक भी न्यूनतम कर का दावा करने के लिए आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित किसी अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत कर सकते हैं।

<u>अनिवासी शेयरधारकों के लिए:</u>

आयटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वर्तमान दरों के हिसाब से कर कटौती किया जाना अपेक्षित है। काटने वाला कर देय लाभांश की राशि पर 20% (अतिरिक्त लागू अधिभार और उपकर) की दर से या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई दर के अनुसार होगा। हालांकि, अनिवासी शेयरधारक के पास, यदि यह उसके लिए फायदेमंद हो तो, भारत और सदस्यों के कर निवासी देश के बीच दोहरे कर से बचने के समझौते (डीटीएए) के प्रावधानों द्वारा शासित होने के विकल्प को चुन सकता है। इस संबंध में, अनिवासी शेयरधारकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

क) जिस वर्ष के लिए लाभांश प्राप्त होता है उस वर्ष के लिए शेयरधारक के निवासी देश के राजस्व प्राधिकरण द्वारा जारी और शेयरधारक द्वारा स्वप्रमाणित कर निवास प्रमाण पत्र;

(ख) विधिवत भरे और हस्ताक्षरित फॉर्म 10एफ;

(ग) पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति;

(घ) भारत में कोई स्थायी ठिकाना/निश्चित आधार नहीं है, सदस्य द्वारा स्व:घोषणा

(ङ) कंपनी में अपने शेयरधारिता के लाभकारी स्वामित्व की घोषणा, और

(च) यदि लागू हो तो, कर कम करने के लिए सदस्य द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किसी अन्य दस्तावेज जैसा कि आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया है।

लाभकारी कर संधि दर का आवेदन अनिवासी शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की पूर्णता और अनुपालन एवं प्रयोज्यता के संबंध में कंपनी की संतुष्टि के लिए इसकी समीक्षा पर निर्भर करेगा।

तदनुसार, कंपनी का सदस्यों से अनुरोध है कि वार्षिक साधारण वैठक की तारीख से पहले उपरोक्त विवरण और दस्तावेज़ आपके फ़ोलियो नंबर को उद्धृत करते हुए कंपनी/आरटीए को ऊपर उल्लिखित ई-मेल आईडी पर उपलब्ध कराएं या संबंधित डीपी के साथ अद्यतन करें।

22. आगे यह भी नोट किया जा सकता है कि यदि उपरोक्त विवरण/दस्तावेजों/घोषणाओं की प्राप्ति के अभाव में लाभांश पर कर की उच्च दर से कटौती की जाती है, तब भी शेयरधारक के पास आय की विवरणी दाखिल करने का और पात्र होने पर, उचित प्रतिदाय का दावा करने का एक विकल्प उपलब्ध होगा । काटे गए ऐसे करों के लिए कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama
गोवा Goa.

आयईपीएफ संबंधी सूचना

23. अधिनियम, की धारा 124 एवं 125 के प्रावधानों के अनुसार जिसे विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम 2016 ('आईईपीएफ नियम') के संशोधित रूप के साथ पढ़े, लाभांश की कोई भी राशि जो कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से सात वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या अदावाकृत है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आयईपीएफ) में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अनुपालन में कंपनी ने वित्त वर्ष 2012-13 तक घोषित लाभांश की अदत्त या अदावाकृत राशि को समय-समय पर आयईपीएफ में अंतरण किया है। वित्त वर्ष 2013-14 तक कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया, इसलिए कंपनी वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी द्वारा आईईपीएफ के अंतरण के लिए कोई राशि नहीं है। अब तक आईईपीएफ में अंतरित लाभांश का विवरण आयईपीएफ प्राधिकरण के वेबसाइट पर अपलोड किया है, जिसे www.iepf.gov.in लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

24. आगे, अधिनियम की धारा 124(6) के संदर्भ में, यथासंशोधित आयईपीएफ नियम के साथ पढ़े, वे शेयर, जिसके संबंध में लाभांश का लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए भुगतान या दावा नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा आयईपीएफ प्रधिकारी के डीमेट खाते में अंतरित किया जाता है। आयईपीएफ प्राधिकरण के डीमेट खाते में अंतरित शेयरों के विवरण कंपनी की वेबसाइट पर और आयईपीएफ प्राधिकरण के वेबसाइट पर अपलोड किए है, जिसे www.iepf.gov.in लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आयईपीएफ प्राधिकारी के डीमेट खाते में अंतरित किए जाने हेतु कोई शेयर देय नहीं है।

25. सदस्य ध्यान दें कि आईईपीएफ को हस्तांतरित किए गए शेयरों के साथ-साथ अदावाकृत लाभांश का आईईपीएफ प्राधिकरण को निर्धारित फॉर्म संख्या आईईपीएफ-5 में एक ऑनलाइन आवेदन करके वापस दावा किया जा सकता है। आईईपीएफ को हस्तांतरित लाभांश/शेयरों की राशि के लिए कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

26. 31 मार्च, 2020 तक कंपनी के पास पड़ी अवैतनिक या अदावाकृत लाभांश की राशि का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.goashipyard.in और आईईपीएफ प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जिसे लिंक : www.iepf.gov.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। जिन सदस्यों का वित्त वर्ष 2014-15 और/या बाद के कोई अनुवर्ती वित्त वर्ष का लाभांश अदावाकृत /अवैतनिक है, उनसे अनुरोध है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर कंपनी से अपने लाभांश का दावा करें।

27. सदस्यों से अनुरोध है कि वे शेयरों और अदावाकृत लाभांशों से संबंधित सभी जानकारी उनके फोलियो संख्या का उल्लेख करते हुए उपर्युक्त ई-मेल आयडी पर कंपनी/आरटीए को भेजें।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama

अन्य सूचना

28. कंपनी के इक्विटी शेयर एनएसडीएल और सीडीएसएल में डीमैटरियलाइज्ड रूप में उपलब्ध हैं। कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या INE178Z01013 है। सदस्य जो वास्तविक रूप में रखे गए शेयरों का यदि डीमैटरियलाइज्ड करना चाहते हैं, तो वे कृपया उनका/उनकी/उनके डीपी के जरिए कंपनी के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं। कंपनी के आरटीए का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है: -

    पूर्वा शेयरजिस्ट्री (इंडिया) प्रा. लिमिटेड
    यूनिट सं 9, शिव शक्ति इंडस्ट्रीज़ इस्टेट,
    जे. आर. बोरिचा मार्ग, लोअर परेल ईस्ट,
    मुंबई – 400 011
    ई-मेल आयडी: support@purvashare.com
    दूरभाष: 022 2301 6761/2301 2517/2518

29. वास्तविक शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि पिन कोड के साथ अपने पंजीकृत पते, आवासीय पता, ई-मेल पते, मैंडेट / वैंक विवरणों में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए वे अपने फोलियो संख्या का उल्लेख करते हुए कंपनी/आरटीए को सूचित करें और शेयरों के डीमैटेरियलाइज्ड रूप में होने पर, यह जानकारी उनके संबंधित डीपी को दी जानी चाहिए।

30. वास्तविक शेयर रखने वाले सदस्यों को सुझाव दिया जाता है कि वे कंपनी में अपनी शेयरधारिता कंपनी (शेयरपूंजी एवं डिबेंचर) नीति, 2014 में निर्धारित के अनुसार फार्म संख्या एसएच-3 प्रस्तुत कर नामांकन करें। फार्म संख्या एसएच-3 कंपनी / आरटीए से प्राप्त किया जा सकता है। डिमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित डीपी से संपर्क कर सकते हैं।

31. एक से अधिक फोलियो में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सभी फोलियो संख्या का विवरण एक ही फोलियो में समेकित करने के लिए आरटीए को भेज दें।

-------------x------------

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में विवरण

1. विशेष सूचना से संबंधित सभी वास्तविक तथ्यों को आगे नोटिस में सूचित किया गया है :-

मद सं. 4

2. कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 117 के संदर्भ में, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के बोर्ड पर मनोनीत सरकारी निदेशक को नियुक्त करने की शक्ति के साथ निहित किया गया है। तदनुसार, भारत के राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार, श्रीमती नाज़ली ज़ाफरी शायीन को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग के दिनांक 31 मई 2021 के पत्र संख्या 8(32)/2019-डी (कोर्ड/डीडीपी) के तहत कंपनी के मनोनीत सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति सम तिथि से प्रभावी है। बोर्ड ने 07 जून 2021 को आयोजित अपनी बैठक में श्रीमती नाज़ली ज़ाफ़री शायीन की नियुक्ति को नोट किया है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(2) के प्रावधानों के अनुसरण में, जैसा कि अधिनियम में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, प्रत्येक निदेशक को कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में नियुक्त किया जाएगा। इसलिए, निदेशक मंडल, सदस्यों के अनुमोदन के लिए कंपनी के मनोनीत सरकारी निदेशक के रूप में श्रीमती नाज़ली ज़ाफ़री शायीन की नियुक्ति का प्रस्ताव रखता है।

4. श्रीमती नाज़ली ज़ाफ़री शायीन का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

श्रीमती नाज़ली ज़ाफ़री शायीन वर्तमान में रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। श्रीमती शायीन 1999 बैच की आईए एवं एएस अधिकारी हैं और उन्होंने बी.ए. सोफिया कॉलेज, अजमेर से, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एम.बी.ए. और एम.पी.ए. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूके से शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने महालेखा परीक्षक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। इसके अलावा, उन्होंने ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ('ट्राइफेड') के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के बोर्ड में और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार के निदेशक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 20 से अधिक वर्षों में विभिन्न विभागों में काम किया है और लेखा परीक्षा, प्रशासन और राज्य सरकार के क्षेत्र में काम करने का एक समृद्ध और विशाल अनुभव है।

5. निदेशक मंडल सदस्यों से प्रस्तावित संकल्प के पारित करने की सिफारिश करता है जैसा कि नोटिस के मद संख्या 4 में एक साधारण संकल्प के रूप में दिया गया है।

6. कंपनी में श्रीमती नाज़ली ज़ाफ़री शायीन के अलावा कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, संबंधित या इच्छुक, आर्थिक रूप से या अन्यथा, संकल्प में नहीं है।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama गोवा Goa. 403802 GOA SHIPYARD LIMITED

<u>मद सं. 5</u>

7. निदेशक मंडल ने, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के लागत रिकार्ड की लेखा परीक्षा करने हेतु मेसर्स एस. आर. भार्गव ऐन्ड कंपनी, लागत लेखाकार, पुणे, महाराष्ट्र को लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति को 1,50,000/- रुपए जोड़ लागू जीएसटी एवं फुटकर खर्च की वास्तविक राशि (अधिकतम 50,000/– रुपए तक) जोड़ लागू कर के पारिश्रमिक पर अनुमोदित किया है।

8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अनुपालन में, जिसे कंपनी (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियमों 2014 के साथ पढ़ते हुए लागत लेखा परीक्षक को देय पारिश्रमिक भुगतान का कंपनी के सदस्यों द्वारा मंजूर किया जाना है।

9. निदेशक मंडल सदस्यों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लागत लेखा परीक्षक को देय पारिश्रमिक मंजूर करने के लिए नोटिस के मद सं. 5 में व्यक्त किए गए प्रस्तावित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित करने की सिफारिश करता है।

10. कंपनी का कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/ या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, संबंधित या इच्छुक, आर्थिक रूप से या अन्यथा, उक्त संकल्प में नहीं है।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama गोवा . Goa. 403802 YARD LIMITED

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते **गोवा शिपयार्ड लिमिटेड**

(छाया जैन)
कंपनी सचिव

स्थान : वास्को द गामा
दिनांक : 06 अगस्त, 2021